

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 939/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
एच. डी. एफ. सी. लिमिटेड, सी-25, भगवानदास रोड, सेन्ट जेवियर स्कूल के सामने सी-स्कीम  
जयपुर।

प्राची वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री राजेश वर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद वर्मा,  
पता- प्लेट नं. 211, द्वितीय फ्लोर, डीएलबी रॉयल्स, प्लॉट नं. ए-25, मंगलम सिटी, कालवाड़ रोड,  
जयपुर।  
एवं 122, नरेन्द्र नगर, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

अप्राचीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and  
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपरिधत

1. श्री विनोद चौहान, अधिवक्ता प्राची वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक: 24.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राची वित्तीय संस्था ने अप्राची ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राची श्री राजेश वर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नं. 211, द्वितीय फ्लोर, डीएलबी रॉयल्स, प्लॉट नं. ए-25, मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाड़ रोड, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 734 वर्गफीट को बन्धक रख कर दिनांक 30.03.2017 को राशि 92,862/- रुपये एवं दिनांक 28.09.2017 को राशि 09,00,000/- रुपये कुल राशि 09,92,862/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राची ऋणी द्वारा प्राची वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में अलमल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राची ऋणी को दिनांक 07.08.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मग ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राची वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमटाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राची वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राची बैंक ने अप्राचीगण को कुल राशि 09,92,862/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राचीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्राची वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राचीगण का ऋण खाता एन वी ए घोषित होने

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 11,02,876/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 07.06.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राजेश वर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नं. 211, द्वितीय फ्लोर, डीएलबी रॉयल्स, प्लॉट नं. ए-25, मंगलम सिटी, ग्राम हाथोज, कालवाड़ रोड़, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 734 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 24.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (प्रकाश राजपुरोहित)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (कलक्टर) जयपुर